न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु॰ नं॰ 57/16 तारीख रजू 6.6.16

उनवान – लक्ष्मीनारायण बनाम विश्राम वगैरा

दावा बाबत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत डिविजन आफ होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 13-7-16 को पेश हो। [हस्ताक्षर] [illegible] कलक्टर टोडाभीम (करौली)	1382-91 / 8/6/16
5.8.16 जनरल पेशी से पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रति. नं. 1 व 3 की ओर से श्री सुनील कुमार सिंघल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 2 व 4, 5, 7 ता 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते जवाब दावा दिनांक 30.8.16 को पेश हो। प्रतिवादी नं. 6 का सम्मन अदम तामील प्राप्त हुआ है। वादी वकील ने प्रतिपत्र तलवाना पेश किए। वास्ते तलबी व जवाब दि॰ 30.8.16 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	[हस्ताक्षर]
30.8.16 वकुलाय उप.। वास्ते तलबी प्रतिवादी नं. 6 व जवाबदावा दि॰ 22.9.16 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
22.9.16 वकुलाय उप.। यथानुसार तलबी व जवाब हेतु दिनांक 3.10.16 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	

मु.नं. 47/16 उनवान - लक्ष्मीनारायण V/s निमाम वगैरा

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

29.10.20 वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नम्बर 13, 18, 19 जो सहखातेदार है, उनकी मृत्यु हो चुकी है जमाबंदी में वारिसान के नाम दर्ज नहीं हुए है। वारिसान की जानकारी वादीगण को नहीं है। इसलिए पुनः दावा पेश करने की इजाजत देते हुए दावा खारिज (विदड्रा) कर दिया जावे। वादी वकील को इस प्रार्थना पत्र पर सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है वादी को पुनः दावा पेश करने इजाजत देते हुए दावा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली